

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनिगों आर0ए0एस0, अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण संख्या 15/19

दायरा- 03.06.19

राजस्थान सरकार जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

आरिफ आ0 सिताब खों जाति मेवाती निवासी शोरती थाना जावर

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- गैर सायल स्वयं

-: आरिफ

दिनांक :-26.08.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी थाना जावर द्वारा जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड गैरसायल आरिफ आ0 सिताब खों के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 8608 दिनांक 25.04.19 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना जावर जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	79/11	13 आरपीजीओ	300/- जुर्माना
2	74/15	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
3	86/17	13 आरपीजीओ	50/- जुर्माना
4	146/18	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
5	163/18	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना

जिनमें में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है - इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्गे नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवास द्वारा वकालतनाम पेश किया गया परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित। गैर सायल ने अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है-मजदूरी का कार्य करके परिवार का भरण पोषण कर करता हूँ। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

मैने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण

26/8/19
अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (राज०)

अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

—: आदेश :-

आरिफ़ आ0 सिताब खॉ जाति मेवाती निवासी शोरती को दिनांक 27.08.2019 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु0 अक्षरे (दस हजार रूपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.19 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



26/8/19
अति० जिला कलेक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
जिला झालावाड
झालावाड (राज०)